प्रवेश अनुभाग

Admission Manual

प्रवेश निर्देशिका

विश्वविद्यालय मार्ग, ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे

University Road, Behind Transport Nagar

हल्द्वानी 263139, नैनीताल, उत्तराखण्ड

Haldwani 263139, Nainital, Uttarakhand

Toll free No. टौल फ्री : 18001804025 (10 am to 5 pm on working days)

Email: info@uou.ac.in Website: http://uou.ac.in

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के व्यापक दर्शन की पृष्ठभूमि पर **उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय** की स्थापना वर्ष 2005 में उत्तराखण्ड शासन के अधिनियम संख्या 23 द्वारा इस उद्देश्य से की गई कि समग्र ज्ञान और कला-कौशल की स्वयं सीख पाने की विविध विधाओं द्वारा सक्षमता लोगों तक पहुॅचायी जा सके। उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अपने अनेक नूतन, समसामयिक एवं उपयोगी शैक्षणिक कार्यक्रमों को सम्प्रेषण के नवीनतम प्रयोगों तथा सम्पर्क-सत्रों द्वारा अधिक सुदृढ़ बनाता रहा है। विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य इस राज्य के त्वरित विकास एवं उन्नयन हेतु प्रशिक्षित एवं विभिन्न कौशलों में दक्ष उपयोगी मानव संसाधनों का विकास करना है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता में कभी किसी भी स्तर पर कोई समझौता न किया जाए। व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा में तीव्रता से हो रहे बदलावों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रमों को इस प्रकार पुनर्गठित किया है कि रोजगार एवं स्व-रोजगार के नित नए द्वार खुल सकें। विश्वविद्यालय मुख्य रूप से महिलाओं, जनजातियों तथा मुख्य धारा से अलग वर्गों के शैक्षिक उन्नयन हेतु कटिबद्ध है। विश्वविद्यालय के निरन्तर होते विस्तार से इसकी पहुँच आज इस राज्य के सुदूरवर्ती एवं दुर्गम स्थलों तक हो गई है।

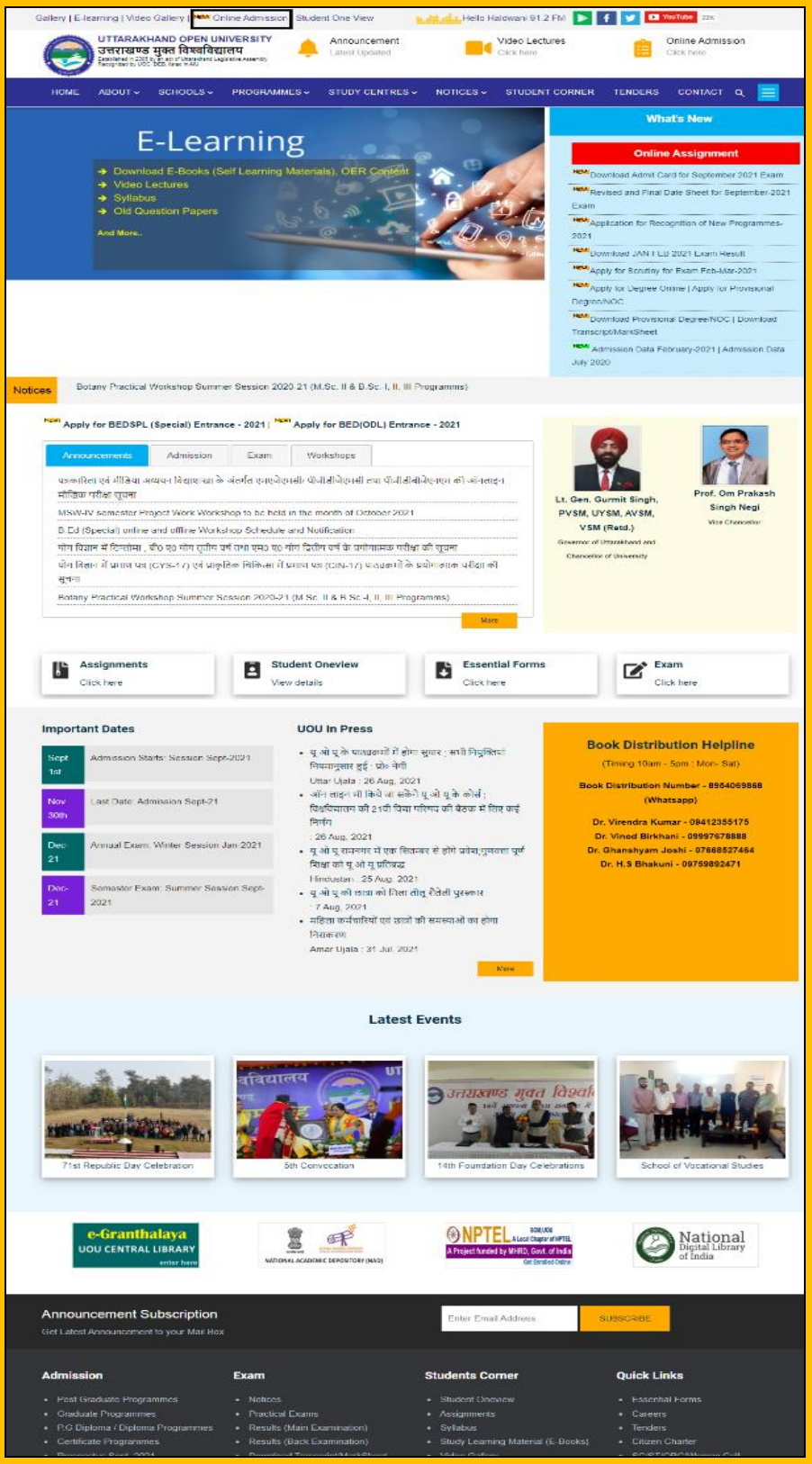
प्रवेश

प्रत्येक शिक्षार्थी/ अभ्यर्थी को अपनी सुविधानुसार शिक्षार्थी सहायता केन्द्र चुनने की स्वतन्त्रता होती है। छात्रों के प्रवेश के साथ-साथ उनके लिए परामर्श सत्रों तथा प्रयोगात्मक कार्यों की व्यवस्था भी शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों द्वारा ही की जाती है। इन केंद्रों के माध्यम से प्रत्येक छात्र अपने विश्वविद्यालय से निरन्तर सम्बद्ध रहता है।

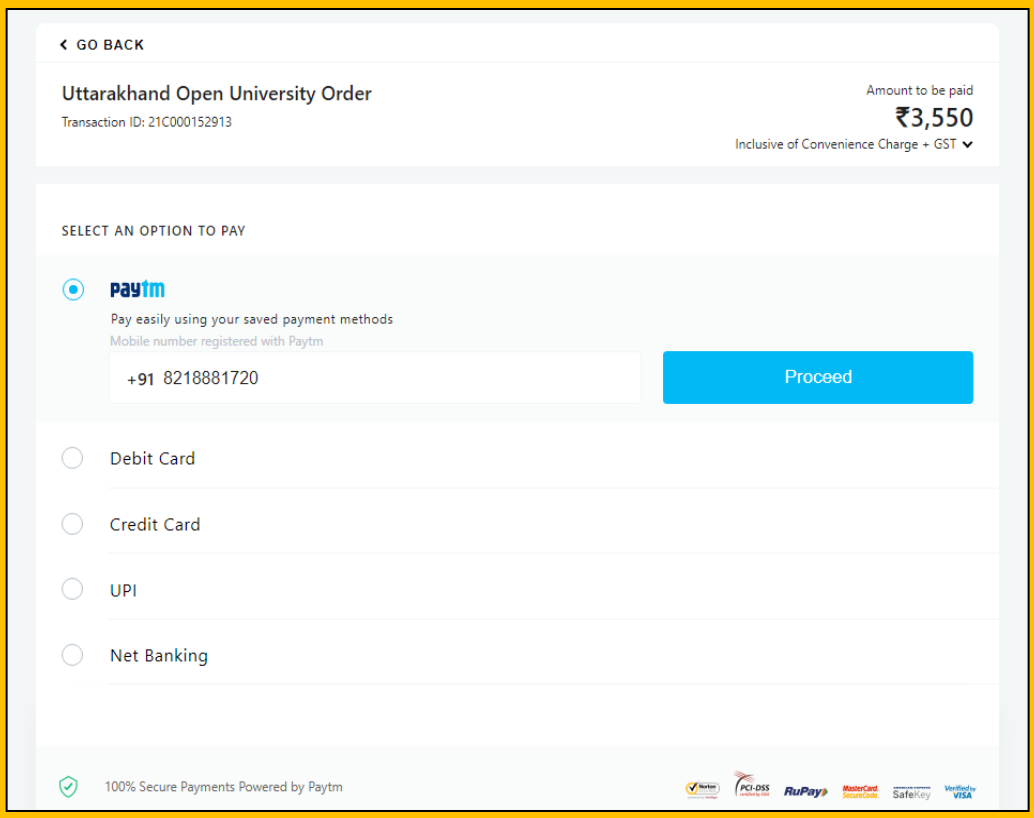
- सभी पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है। ऑनलाईन प्रक्रिया में शुल्क का भुगतान पेमेंट गेटवे (डेबिड कार्ड/क्रेडिड कार्ड अथवा नेट बैकिंग) के माध्यम से किया जाता है ।
- 'आनॅलाइन' प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी अपने मूल प्रपत्रों को स्कैन कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करते हैं, एंव दिये गये प्रारूप में अपने हस्ताक्षर से आवेदक की घोषणा प्रमाण पत्र अपलोड करते हैं
- विश्वविद्यालय में वर्ष में एक अथवा दो बार प्रवेश दिया जाता है।
- यू.जी.सी. निर्देशों के अनुसार प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों एवं संबद्ध महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय के शिक्षार्थी सहायता केंद्र स्थापित हैं।
- वर्तमान में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में कुल 124 शिक्षार्थी सहायता केन्द्र/ अध्ययन केन्द्र कार्यरत हैं।
- विश्वविद्यालय मुख्यालय हल्द्वानी तथा देहरादून में दो आर्दश शिक्षार्थी सहायता केन्द्र स्थापित किये गये हैं।
- शहीद सैनिकों की विधवाओं को इन्दिरा प्रियदर्शिनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी में प्रवेश लेने पर पाठ्यक्रम शुल्क में पूर्ण छूट दी जाती है।
- राजकीय महाविद्यालय, मुनस्यारी एवं सरदार महिपाल राजेन्द्र डिग्री कालेज, सहिया में प्रवेश लेने वाली अनुसूचित जनजाति श्रेणी की महिलाओं को पाठ्यक्रम शुल्क में 15 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है।
- कारागारों में स्थित विशेष अध्ययन केन्द्रों में प्रवेश लेने वाले कैदियों को पाठ्यक्रम शुल्क एवं परीक्षा शुल्क आदि में पूर्ण रूप में छूट प्रदान की जाती है।
- ऐसी महिलाएं जो 50 प्रतिशत दिव्यांग हैं को पाठ्यक्रम शुल्क में पूर्ण रूप से छूट प्रदान की जाती है ।
- विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु मात्र उन्हीं स्कूल बोर्डों/ विश्वविद्यालयों/ शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं उपाधियां मान्य होती हैं जिन संस्थानों की ऐसी उपाधियों को विद्यालयी शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समकक्षता/ मान्यता प्रदान की गई हो।

- केवल उन पाठ्यक्रमों को छोड़कर जिनके लिए प्रवेश परीक्षा निर्धारित है, अन्य समस्त पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश दिए जाते हैं।
- सामान्यतः विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु कोई न्यूनतम अथवा अधिकतम आयु सीमा नहीं है। किन्तु यदि किसी पाठ्यक्रम विशेष के लिए आयु सीमा का निर्धारण है तो यह उस पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में अनिवार्य दशा होतीहै।
- विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में केवल वे अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र हैं जो विद्या परिषद द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता को पूर्ण करते हों। प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु उसकी प्रवेश अर्हता का उल्लेख सम्बन्धित विवरणिका में दिया जाता है।
- विश्वविद्यालय में प्रवेश के पश्चात् प्रत्येक आवेदक का नामांकन स्वत: हो जाता है और एक नामांकन संख्या आवंटित की जाती है जो अभ्यर्थी के लिए परिचायक का काम करती है। नामांकन संख्या का आवंटन प्रथम प्रवेश परीक्षा में किया जाता है, जिसका उल्लेख अंक तालिका, प्रमाणपत्र एवं उपाधिपत्र में किया जाता है।
- ऐसे शिक्षार्थी जो अपनी महत्तम अवधि के भीतर भी अपना पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं कर पाते हैं, उनके लिए पुन: प्रवेश का प्रावधान विद्यमान है।
- विश्वविद्यालय के अनेक पाठ्यक्रमों में पार्श्व प्रविष्टि के तहत भी प्रवेश का प्रावधान है।
- विश्वविद्यालय में प्रवेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आरक्षण के नियम लागू किये जाते हैं।
- विश्वविद्यालय में विदेशी अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु भी निश्चित प्रावधान किये गये हैं।

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया




UTTARAKHAND OPEN UNIVERSITY
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
Established by an act of Uttarakhand Legislative Assembly
Recognized by UGC, DEC, listed in AIU
Toll Free: 18001804025
Admission: 05946286002
Exam: +91-5946286022
Books: +91-5946286001
Others: +91-5946286000
(10am - 5pm : Mon- Sat)
Newsletter
Home
About Us
Schools
Admissions
RTI
Careers
Exams
Gallery
Media
Centres
Contact
Instructions
Programmes
Regional Centers
Essential Forms
Student Corner
* Note:Only For New Students, For
STEP 1: READ THE INSTRUCTONS CAREFULLY
STEP 2: CHOOSE PROGRAMME , STUDY CENTRE AND FILL THE DETAILS
STEP 3: MAKE PAYMENT ONLINE (VIA NETBANKING/ DEBIT/CREDIT CARD) OR BY CHALLAN
STEP 4: TAKE A PRINT OUT OF THE FORM
STEP 5: SUBMIT IT TO THE STUDY CENTRE ALONG WITH TESTIMONIALS
Online Admissions
Click Here To Proceed
About Us | Results | Schools | Centres | Careers | Admissions | Exams | Refund Policy | Privacy | Terms and Condition | Contact
© 2014 Uttarakhand Open University | Disclaimer
This Website is best viewed on Internet Explorer (IE) - 8 & above, Mozilla Firefox - 11 & above.


GO BACK
Uttarakhand Open University Order
Transaction ID: 21C000152913
Amount to be paid
₹3,550
Inclusive of Convenience Charge + GST
SELECT AN OPTION TO PAY
Paytm
Pay easily using your saved payment methods
Mobile number registered with Paytm
+91 8218881720
Proceed
Debit Card
Credit Card
UPI
Net Banking
100% Secure Payments Powered by Paytm

कृपया प्रवेश से पूर्व यह जांचें कि आपके प्रमाण पत्र वैध हैं और आप प्रवेश की निर्धारित अर्हता रखते है।	**Please check before admission that your certificates are valid and you carry the prescribed eligibility.**
4. प्रवेश	**4. Admission**
4.1 प्रवेश नियम **उत्तराखण्ड राज्य में स्थित अधिकृत शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों में लिया गया प्रवेश ही मान्य होगा।**	
विश्वविद्यालय में पंजीकृत किसी भी पाठ्यक्रम के विद्यार्थी अपने अगले सेमेस्टर या कक्षा में बिना परीक्षा परिणाम / अंकतालिका के प्रवेश ले सकते हैं।	**A learner enrolled in any Programme of the University may seek admission in next semester or class even before declaration of result or issue of mark sheet.**
4.1 Admission Rules **Admission only at authorized Learner Support within the Uttarakhand State will be accepted** **प्रवेश आवेदन पत्र भरने से पहले कृपया ध्यान दें** (बिन्दु 1 से 3 का पालन न करने पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा) 1 प्रवेश आवेदन पत्र में केवल **स्वयं का मोबाइल** फोन नम्बर दें, एक मोबाइल फोन नम्बर से केवल एक ही आवेदक को प्रवेश दिया जायेगा। 2 प्रवेश आवेदन पत्र में केवल **स्वयं का ई-मेल आई-डी** दें, एक ई-मेल आई-डी से केवल एक ही आवेदक को प्रवेश दिया जायेगा। 3 प्रवेश आवेदन पत्र में केवल **स्वयं का आधार नम्बर** दें।	
4.1.1 अकादमिक सत्र	**4.1.1 Academic Session**
विश्वविद्यालय में वर्ष में एक अथवा दो बार प्रवेश दिया जाएगा। पाठ्यक्रम वार्षिक परीक्षा प्रणाली या सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली पर आधारित होंगे। सेमेस्टर प्रणाली में सेमेस्टर की अवधि छः माह होगी। - 1. ग्रीष्म कालीन सत्र - (प्रवेश अगस्त से प्रारम्भ)	There shall be one or two admission cycles of examination. The programmes are offered either in semester or annual examination mode. In semester mode, one semester lasts for six months. 1. Summer Session (Admissions commencing from August)
प्रवेश तिथि	**Date of Admission**

प्रवेश	**सत्र** **अगस्त सत्र**		**Admission**	**Session** **August Session**
आरम्भ की तिथि			Opening Date	
प्रवेश आरम्भ की तिथि	01 सितम्बर		Admission Opening Date	01 September
प्रवेश की अंतिम तिथि	30 नवम्बर		Admission Closing date	30 November

4.1.2 ऑनलाइन प्रवेश सभी पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है। ऑनलाईन प्रक्रिया में शुल्क का भुगतान पेमेंट गेटवे (डेबिड कार्ड/क्रेडिड कार्ड अथवा नेट बैकिंग) के माध्यम से किया जाना होगा। 'आनॅलाइन' प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी अपने मूल प्रपत्रों को स्कैन कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे एंव दिये गये **प्रारूप में अपने हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे।** 'ऑफलाइन' प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों	**4.1.2 Online Admission** Online admission is available in all programmes. In this mode the fee can be paid only through the payment gateway (debit/credit card or Net Banking). The applicants taking admission through Online mode shall attach their scanned original documents with the application form and **submit a signed certificate in the**

को आवेदन पत्र के साथ अपने मूल प्रपत्रों की छाया प्रतियों को स्वप्रमाणित लिख आवेदन पत्र के प्रारूप में स्व-हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन प्रवेश में विद्यार्थी को मूल प्रमाण पत्रों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्रों की प्रति शिक्षार्थी सहायता केन्द्र में जमा करने की बाध्यता समाप्त होगी।	**given format**. The applicants taking admission through Offline mode shall enclose the self attested photocopies of their original document and attested photocopies of their original document and a signed certificate in the given form. In case of the online admission scanned copies of the original testimonials shall be uploaded by the learners. Compulsion of submission of hard copies of online admission form is revoked.
4.1.3 ऑनलाइन पाठ्य सामग्री चाहने वाले छात्रों के लिए यदि कोई छात्र ऑनलाइन पाठ्य सामग्री चाहता है (पाठ्यसामग्री विश्वविद्यालय की वेबसाइट के पोर्टल elearning.uou.ac.in से डाउनलोड करना होगा, विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकें उपलब्ध नहीं करायी जायेंगी) तो ऐसे छात्र को उसके कार्यक्रम के चुने हुए वर्ष के कार्यक्रम शुल्क में 15% की छूट प्रदान की जायेगी।	**4.1.3 Students opting for online Course material** If the student opting for the online course material(The SLM shall have to be downloaded from the University Website portal elearning.uou.ac.in and hard copy of the course material shall not be provided by the University) shall be given 15% discount on the programme fee for the selected year.
4.1.4 नामांकन	**4.1.4 Enrollment**
विश्वविद्यालय में प्रवेश के पश्चात् प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक का नामांकन स्वत: हो जायेगा और एक नामांकन संख्या आवंटित की जाएगी जो अभ्यर्थी के लिए परिचायक का काम करेगी। नामांकन संख्या का आवंटन प्रथम प्रवेश परीक्षा में किया जाएगा जिसका उल्लेख अंक तालिका, प्रमाणपत्र एवं उपाधिपत्र में किया जाता है। ऑफलाइन आवेदकों की प्रविष्टि शिक्षार्थी सहायता केन्द्र द्वारा की जायेगी।	After seeking admission in the University, each online applicant will be issued an enrollment number automatically. The enrollment number acts as a unique identification number. The enrollment number is issued only once and is mentioned on the mark sheets, certificates and degrees of the learners. Offline applicants shall be given enrollment through their Learner Support centers.
4.1.5 पुन: प्रवेश विस्तृत जानकारी के लिए देखें www.uou.ac.in	**4.1.5 Re-admission** For details see the website www.uou.ac.in
4.1.6 पार्श्व प्रविष्टि	**4.1.6 Lateral Entry**
विस्तृत जानकारी के लिए देखें www.uou.ac.in	For details see the website www.uou.ac.in
4.1.7 शिक्षार्थी सहायता केंद्र परिवर्तन संबंधी नियम	**4.1.7 Rules for Change in Learner Support Centre**
दिव्यांग विद्यार्थियों का शिक्षार्थी सहायता केन्द्र परिवर्तन नि:शुल्क किया जाये। शिक्षार्थियों के शिक्षार्थी सहायता केन्द्र परिवर्तन प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात 30 दिनों के भीतर नि:शुल्क किया जायेगा। नि:शुल्क परिवर्तन की 30 दिनों की अवधि के पश्चात अगले 30 दिनों तक शिक्षार्थी सहायता केन्द्र परिवर्तन करने पर विद्यार्थी अध्ययन केन्द्र के माध्यम से आवेदन पत्र प्रेषित करेगा तथा अदेय प्रमाण पत्र संलग्न करेगा। रूपया 1000/- शुल्क के साथ शिक्षार्थी सहायता केन्द्र परिवर्तन किया जा सकेगा। यद्यपि ऐसे प्रकरणों पर विश्वविद्यालय विचार करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।	Change of study center for physically challenged learner shall be of free of cost. Change of learner support center shall be free of cost within 30 days from the last date of admission. After the 30 days of free of cost change of learner support center, in the following 30 days change of learner support center shall be allowed if the learner applies through learner support center with no dues certificate of the center and Rs. 1000/- as fee for the change of learner support center. Such application shall be decided upon by the

तत्पश्चात सत्र पूरा होने तक शिक्षार्थी सहायता केन्द्र परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा असाधारण परिस्थिति में किसी शिक्षार्थी सहायता केन्द्र के स्वत: बन्द होने या विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षार्थी सहायता केन्द्र बन्द किए जाने की स्थिति में शिक्षार्थी सहायता केन्द्र परिवर्तन नि:शुल्क किया जाये। विशेष परिस्थिति में विद्यार्थी के अभिभावक या स्वयं विद्यार्थी का स्थान परिवर्तन होने पर, किसी छात्रा के विवाह हो जाने की स्थिति में कुलपति जी की विशेष अनुमति पर रूपया 1000/- शुल्क के साथ शिक्षार्थी सहायता केन्द्र परिवर्तन किया जा सकेगा। विद्याथियों को प्रवेश के लिए आधार कार्ड/ पासपोर्ट/ अन्य संवैधानिक पहचान पत्र आवश्यक होगा।	University and its decision shall be final. After this period no change of learner support center shall be allowed till the end of the Session. In an extra ordinary situation like self closure of the learner support center or Closure of learner support center by the University, the change of learner support center shall be free of cost. In the special cases like transfer of guardian or transfer of student itself or marriage of a female student, change of learner support center shall be allowed with due permission of Vice Chancellor and a fee of Rs. 1000/- . Aadhar card/ passport/other legal identity card shall be mandatory for the admission.
4.1.8 पहचान पत्र	**4.1.8 Identity Card**
विद्यार्थी प्रवेश के उपरांत विश्वविद्यालय की वैबसाइट से अपना पहचान पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।	Student can download Identity card from the website of the University.
4.1.9 प्रवेश में आरक्षण की नीति	**4.1.9 Policy of Reservation in Admission**
विश्वविद्यालय में प्रवेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आरक्षण के नियम लागू होंगे।	Reservation Policy of the State Government will be applicable in admission.
4.1.10 शुल्क वापसी	**4.1.10 Fee Reimbursement**
आरक्षित श्रेणी के छात्रों की शुल्क वापसी के आवेदन पत्रों, जो निर्धारित तिथि तक प्राप्त होंगे, को विश्वविद्यालय द्वारा शासन के संबंधित विभाग की शुल्क वापसी योजना के अनुरूप शासन के संबंधित विभाग को अग्रसारित किया जाता है।	As per the fee refund scheme, the application of the students from reserved category is forwarded to the Concerned Department.
विद्यार्थी द्वारा यदि वैबसाइट/विवरणिका में दिये गये शुल्क वापसी प्रपत्र के अतिरिक्त साधारण प्रपत्र पर शुल्क वापसी के लिए आवेदन किया गया हो तो उस पर भी विचार किया जा सकता है । विद्यार्थी की शुल्क वापसी केवल उसी सत्र में मान्य होगी जिस सत्र में उसने प्रवेश लिया है। प्रवेश की अन्तिम तिथि के दो माह के भीतर शुल्क वापसी की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाये। किसी कार्यक्रम में प्रवेश में यदि तकनीकी कारणों से भुगतान दो बार हो जाता है तो ऐसी स्थिति में एक भुगतान वापस किया जायेगा। शुल्क वापसी के ऐसे आवेदन पत्र जिनका शुल्क भुगतान चालान द्वारा किया गया हो, यदि एस.आई.एस. में प्रविष्ठि से पहले प्राप्त हो जाते हैं तो सम्पूर्ण शुल्क की वापसी की जायेगी। विश्वविद्यालय में प्रवेश आवेदन पत्र की प्रविष्ठि न होने 100 प्रतिशत शुल्क वापसी	Application for fee refund shall be accepted in the prescribed *Fee Reimbursement Form* given in the website/prospectus as well as in a plain paper. Reimbursement of fee shall be applicable only in that session in which admission is sought. Process of reimbursement of fee is to be completed within two month after the last date of admission. If due to a technical problem double-payment is made through digital payment, in such a situation one payment shall be refunded. If the application of cancellation of those admission forms whose payment is made by challan is received before the application entry in SIS then total fee shall be refunded. If the entry of admission form is not done in the University,

विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम न चलाया जा रहा हो तो का 100 प्रतिशत शुल्क वापस किया जायेगा यदि विद्यार्थी द्वारा अध्ययन सामग्री दिये जाने के पूर्व प्रवेश निरस्त हेतु अनुरोध किया गया हो तो सम्पूर्ण शुल्क का 90 प्रतिशत वापस किया जायेगा। अध्ययन सामग्री दिये जाने के पश्चात यदि विद्यार्थी द्वारा प्रवेश निरस्त एवं शुल्क वापसी हेतु अनुरोध किया गया हो तो ऐसे आवेदन पर सम्पूर्ण शुल्क का 50 प्रतिशत वापस किया जायेगा यदि विद्यार्थी द्वारा पुस्तकें वापस कर दी गई हों। अनुचित/असत्य/अयोग्य प्रमाणपत्रों के आधार पर लिए गये प्रवेश को विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने पर शुल्क वापसी नहीं होगी। । कार्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त एवं भविष्य में कोई अन्य कार्यक्रम न करने की स्थिति में विद्यार्थी की यदि कोई राशि अवशेष है तो उसे विद्यार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर वापस किया जायेगा। ऐसे विद्याथियों को उनकी अवशेष राशि कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात केवल एक वर्ष के भीतर ही दावा करने पर वापस की जा सकेगी। * **सम्पूर्ण शुल्क** का तात्पर्य समस्त शुल्क से है जिसके अन्तर्गत कार्यक्रम, प्रोजेक्ट, कार्यशाला, परीक्षा, प्रयोगात्मक, मौखिकी, डिग्री और विविध शुल्क सम्मिलित हैं।	then 100% fee shall be refunded. If the University suspends/closes a Programme then 100% of the **grand total*** of fee shall be refunded. If the Student requests for cancellation of admission before the study material have been delivered then 90% of the grand total of fee shall be refunded. If the student requests for cancellation after the study material have been delivered then 50% of the grand total of fee shall be refunded if the student returns the books. If admission is cancelled by the University on the ground of wrong/fake/ineligible certificates then fee shall not be refunded. In a situation like completion of a programme by a learner who is not interested in doing other programme in the future if any extra amount is due on the University, that shall be refunded on the application of such learner. Such amount shall be refundable on the application of the learner within an year after the completion of the programme only. * Grand Total means total fees which include Program fee, project, workshop, examination, Practical, viva-voce, degree etc.
4.1.11 पाठ्यक्रम / विषय / कोर्स में परिवर्तन	**4.1.11 Change in Programme/ Subject/ Course**
प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात एक माह के अंदर अध्ययन केन्द्र से पाठ्यसामग्री का अदेय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ऐच्छिक विषय/ पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जा सकेगा।	Subject/Programme change shall be permitted within one month after the last date of admission in this session if no dues certificate from the study center is produced.
विद्यार्थी को नये कार्यक्रम की अर्हता से संबंधित प्रपत्र प्रस्तुत करने पड़ेंगे। पाठ्यक्रम में परिवर्तन का प्रावधान प्रवेश-परीक्षा के द्वारा प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगा। पाठ्यक्रम परिवर्तन की दशा में यदि नए पाठ्यक्रम / विषय का शुल्क कम तो आधिक्य का समायोजन नहीं किया जाएगा तथा चाहे गए पाठ्यक्रम का शुल्क पूर्व के पाठ्यक्रम से अधिक है तो अतिरिक्त शुल्क विद्यार्थी द्वारा जमा किया जाएगा। दोनों ही दशा में पाठ्यक्रम परिवर्तन शुल्क अतिरिक्त देय होगा।	The learner shall have to produce eligibility documents regarding the new programme. Programme change shall not be applicable for the learners who have obtained admission through entrance test. In the case of change in programme/ subject, if the new programme or subject has a lower fee than the programme / subject opted earlier, then the remaining amount will not be adjusted and if the desired programme / subject has a higher fee than the previous programme/ subject opted for by the learner, then s/he will have to pay an additional fee. In both the cases, the fee for change in programme / subject will be payable additionally.

उक्त व्यवस्था हेतु शुल्क का निर्धारण इस प्रकार किया गया है: **शिक्षार्थी सहायता केंद्र परिवर्तन हेतु:** रूपये 1000.00 **पाठ्यक्रम परिवर्तन हेतु:** रूपये 500.00 रूपये 200.00	**As per the above mentioned arrangement, the fee is determined as under:** **Change of Learner Support Centre**: Rs. 1000/- **Change of Programme:** Rs. 500/- **Change of Subject: Rs.** 200/-
दो विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश /परीक्षा से सम्बन्धी	**Admission/Examination in two different Programmes**
यदि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी पाठ्यक्रम में नामांकित किसी विद्यार्थी द्वारा ऐसे पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष/सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत इस पाठ्यक्रम को स्थगित रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लिए जाने हेतु आवेदन किया जाता है, तो इस हेतु निम्न शर्तो के अधीन अनुमति होगी: ● विद्यार्थी द्वारा पहले प्रवेश लिए गए पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष/सेमेस्टर को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही इस प्रकार के आवेदन स्वीकार्य होंगे। ● प्रथम पाठ्यक्रम को स्थगित किए जाने तथा किसी दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रवेश हेतु घोषित तय समयावधि के अंतर्गत निदेशक प्रवेश को विधिवत् आवेदन किया जाना होगा ● प्रथम प्रवेश पाठ्यक्रम के स्थगन एवं द्वितीय पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति उपरांत विद्यार्थी द्वारा द्वितीय प्रवेश लिए गए पाठ्यक्रम को नियमानुसार पूर्ण करना होगा एवं द्वितीय पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के उपरांत ही पूर्व में स्थगित रखे गए पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष/सेमेस्टर में पुनः प्रवेश की अनुमति होगी। ● उक्तानुसार अनुमति प्रदान किए गए दोनों पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु उतनी ही समयावधि मान्य होगी जितनी कि प्रथम प्रवेश पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु अनुमन्य है। उदाहरणस्वरूप- यदि विद्यार्थी द्वारा प्रथम बार एम0ए0 पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जाता है जिसको पूर्ण करने हेतु विद्यार्थी को कुल 6 वर्ष की समयावधि नियमानुसार अनुमन्य है एवं विद्यार्थी द्वारा एम0ए0 प्रथम वर्ष उर्त्तीण करने के पश्चात् एम0ए0 पाठ्यक्रम को स्थगन में रखते हुए एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन किया जाता है तो अनुमति की स्थिति में विद्यार्थी को दोनों पाठ्यक्रम प्रथम प्रवेश के समय आवंटित नामांकन संख्या (Enrollment No.) प्राप्ति की तिथि से 6 वर्षो की समयावधि में ही पूर्ण करने होंगे, अन्यथा की स्थिति में शेष रह गए पाठ्यक्रम में प्रवेश निरस्त माना जाएगा। ● प्रत्येक दशा में विद्यार्थी को विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु एक ही नामांकन संख्या (Enrollment No.) जो विश्वविद्यालय में प्रथम प्रवेश के समय आवंटित की गई हो, ही मान्य होगी। ● शिक्षार्थी को किसी एक शैक्षिक सत्र में केवल एक ही डिग्री	If a student is enrolled in any programme and having passed the first year / semester examination, wishes to suspend that programme and apply for admission in a new programme, he/she can do so if s/he fulfills the following conditions: ● Only those students who have successfully passed the first year / semester examination of the Programme in which they are enrolled are eligible for this facility. ● The student seeking to suspend the present programme of study, so as to apply for admission in a new Programme, will duly submit his/her application to the Director, Admission within prescribed date for new admission. ● Only after successfully completing the second (new) programme of study, the student will be allowed admission in the second year/semester of the previous suspended programme. ● The student availing this facility will have to complete both the programmes within the time limit permissible at the time of admission in the first programme. For example, if a student enrolled in MA programme, for completing which the prescribed time limit is 06 years, decides to suspend it after passing the first year examination and seeks admission in a new programme, MBA, for example, s/he will have to complete both MA and MBA within 06 years from the date of enrollment in the MA programme, failing which the admission in the incomplete programme will stand cancelled. ● The enrollment number generated at the time of the student's first admission in any of the UOU programmes will remain valid for all subsequent programmes of study.

पाठ्यक्रम में प्रवेश/परीक्षा की अनुमति होगी। हालाँकि उसे डिग्री के अतिरिक्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में प्रवेश/परीक्षा की अनुमति होगी।	• A student can study and appear for examination in only one degree programme in a given academic session. However, s/he can opt for admission in Diploma/ Certificate Programme in addition to the degree programmes.
4.1.12 सामान्य नियम शिक्षार्थी सहायता केन्द्र समन्वयकों द्वारा ही शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों में प्रवेश के समय विद्यार्थियों के समस्त शैक्षिक अभिलेखों, जाति संबंधी प्रमाण पत्रों, शैक्षिक योग्यता इत्यादि का मूल अभिलेखों से मिलान कर सत्यापित किया जायेगा और शिक्षार्थी सहायता केन्द्र समन्वयक इसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय के द्वारा भी प्रवेश आवेदन पत्रों का मूल अभिलेखों से मिलान कर यादृच्छ(रैण्डम) सत्यापन किया जायेगा। विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे प्रवेश लेने के उपरांत एक माह के भीतर अपने शिक्षार्थी सहायता केन्द्र में जाकर अपने संलग्न दस्तावेजों को सत्यापित करायें। शिक्षार्थी सहायता केन्द्र समन्वयकों के लिए आवश्यक होगा कि वे अपने शिक्षार्थी सहायता केन्द्र में पंजीकृत नये विद्यार्थियों के समस्त शैक्षिक अभिलेखों, जाति संबंधी प्रमाण पत्रों, शैक्षिक योग्यता इत्यादि का मूल अभिलेखों से मिलान कर सत्यापित किये जाने का प्रमाण पत्र, प्रवेश विभाग, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे। चूंकि 14 दिसम्बर 2016 से उत्तराखण्ड में व्यक्तिगत परीक्षा प्रणाली समाप्त हो गयी है , अत: इस तिथि के बाद व्यक्तिगत परीक्षा प्रणाली के तहत उपाधि प्राप्त किसी भी आवेदक को प्रवेश नहीं दिया जायेगा, केवल उत्तराखण्ड के ऐसे व्यक्तिगत परीक्षा प्रणाली के तहत उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों के आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे जिन्होंने वर्ष 2016 के बाद व्यक्तिगत परीक्षा प्रणाली के तहत द्वितीय अथवा त़तीय वर्ष की परीक्षा देकर अपनी उपाधि प्राप्त की है।	**4.1.12 General Rules** All educational certificates, caste certificate, educational qualification etc. of student will be certified by the Learner Support Center Coordinator after checking the original documents and accordingly Learner Support Center Coordinator shall be solely liable for it. The University will also verify the admission forms randomly by checking the originals if necessary. It will be mandatory for the students to get their enclosed documents certified by the Learner Support Center within a month after admission. It will be mandatory for the Learner Support Centers to send a certificate to the Admission Department of Uttarakhand Open University certifying that all the educational certificates, caste certificate, educational qualification etc. of the new students registered in the Learner Support center have been attested by checking the originals. As the private examination system in Uttarakhand has been abolished from 14th Dec.2016, thus no applicant having degree through private examination system after this date will be admitted; only those applications of the students of Uttarakhand will be accepted who have acquired their degree after passing 2nd or 3rd year through private examination system after 2016.
विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में केवल वे अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र हैं जो विद्या परिषद द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता को पूर्ण करते हों। प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु उसकी प्रवेश अर्हता का उल्लेख सम्बन्धित विवरण में दिया गया है।	Only those applicants, who fulfill the required educational qualifications as decided by the Academic Council, are eligible for the programmes offered by the University.
प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एवं निर्गत आवेदन पत्र ही मान्य होंगे।	Only those application forms will be acceptable which are issued and determined by the University.
प्रवेश आवेदन पत्र सम्बन्धित शिक्षार्थी सहायता केन्द्र अथवा विश्वविद्यालय से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर प्राप्त किए जा सकते हैं।	Admission forms may be obtained from the concerned Learner Support Centres or the University Headquarters by paying the requisite fee.

अभ्यर्थी का प्रवेश उसी शिक्षार्थी सहायता केन्द्र में माना जाएगा, जहाँ उसने पूरित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हो / पंजीकरण कराया हो।	An applicant will be enrolled only in that Learner Support Centre where his/her application forms has been submitted.
केवल पूर्ण स्पष्ट रूप से भरे हुए ऐसे प्रवेश आवेदन पत्र जिनके साथ विद्यार्थी द्वारा स्वप्रमाणित एवं सम्बंधित शिक्षार्थी सहायता केंद्र द्वारा सत्यापित अभिलेख/ प्रमाण पत्र संलग्न हों, ही प्रवेश हेतु स्वीकार्य एवं मान्य होंगे।	Only those admission forms which are duly verified and forwarded by the concerned Learner Support Centre, along with self attested copies of testimonials shall be treated as valid and acceptable for admission.
विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु मात्र उन्हीं **स्कूल बोर्डों/ विश्वविद्यालयों/ शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं उपाधियां मान्य होंगी जिन संस्थानों की ऐसी उपाधियों को विद्यालयी शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समकक्षता/ मान्यता प्रदान की गई हो।**	Only the degrees / certificates issued by institutions which are **recognized by / Uttarakhand Madhymik Shiksha Parisad/ University Grant Commission, shall be accepted as valid for admission in the University.**
केवल उन पाठ्यक्रमों को छोड़कर जिनके लिए प्रवेश परीक्षा निर्धारित है, अन्य समस्त पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश दिए जाएंगे।	Except for those programmes where entrance examination is conducted, there is a provision for direct admission in all other programmes.
प्रवेश परीक्षा द्वारा आच्छादित पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा की तिथियाँ विश्वविद्यालय द्वारा यथासमय घोषित की जाएंगी।	Those programmes where admission is through entrance test, the dates of such tests will be declared by the University.
विशिष्ट प्रकरणों में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात अनुमन्य प्रवेश पर रू. 2000 का विलम्ब शुल्क देय होगा।	In special cases, if a learner is permitted admission after the last date, s/he will be charged Rs. 2000/- as late fee.
प्रवेश आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि के पश्चात एक पूर्व घोषित अवधि तक ही विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र स्वीकार्य होंगे। उक्त अवधि के उपरान्त किसी भी दशा में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।	The application forms will be acceptable till the last date of admission. However, there is a provision for acceptance of application forms along with late fee charges for a particular time period. After the last date, no form will be accepted in any case.
सामान्यतः विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु कोई न्यूनतम अथवा अधिकतम आयु सीमा नहीं है। किन्तु यदि किसी पाठ्यक्रम विशेष के लिए आयु सीमा का निर्धारण है तो यह उस पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में अनिवार्य दशा होगी।	Generally, there is no minimum and maximum age limit for admission in general. However, if there is any such rule mentioned in any programme, then it will be a mandatory pre-condition for seeking admission in that programme.
वर्तमान सत्र के आवेदन पत्र केवल वर्तमान सत्र के लिए ही मान्य हैं।	The application forms pertaining to a particular session are valid for that particular session only.
अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण, अध्ययन केंद्र द्वारा बिना अग्रसारित व विलम्ब से प्राप्त हुए आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियाँ अत्यन्त सावधानी पूर्वक भरेंगे तथा कोई वांछित सूचना न तो छिपाएंगे और न ही गलत ढंग से प्रस्तुत करेंगे।	Incomplete or wrongly filled application forms without being duly forwarded to Study Centre, and applications received after due date of admission shall be cancelled. Therefore, applicants are advised to fill up all the information carefully. They should neither hide any required information nor project it wrongly.
आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक शैक्षिक प्रमाण-पत्रों की स्व-	It is mandatory to produce all the necessary self attested

प्रमाणित तथा संबंधित अध्ययन केंद्र द्वारा सत्यापित छाया प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है।	photocopies of one's testimonials, duly verified by the concerned study centre.
विश्वविद्यालय ने जिन पाठ्यक्रमों हेतु बाह्य-सहयोगी संस्थाओं से अनुबन्ध किया है, उनके लिए प्रवेश विश्वविद्यालय अथवा सम्बन्धित संस्थानों की प्रवेश नीति के आधार पर होगा। विद्यार्थी यदि स्वयं के नाम, माता का नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि में से यदि किसी एक का संशोधन कराता है तो वह नि:शुल्क होगा लेकिन एक से अधिक संशोधन के लिए शुल्क पूर्ववत लागू रहेगा।	Admissions for those programmes which are being offered in a collaborative mode, shall be granted permission as per the admission policy of Uttarakhand Open University or the concerned collaborators. One correction in any one out of his/her name, mother's name, father's name and date of birth shall be without fee but for more than one correction the fee shall remain as earlier.
4.1.13 अपूर्ण एवं देर से प्राप्त आवेदन पत्र	**4.1.13 Incomplete forms and forms received after due date**
ऐसे आवेदन पत्र जो अपूर्ण होंगे तथा देर से प्राप्त होंगे, उन्हें निरस्त किए जाने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा। अन्यथा की स्थिति में ऐसे आवेदन पत्रों को विलम्ब शुल्क के साथ स्वीकार किया जाना उच्च अधिकारियों की स्वीकृति से ही सम्भव होगा।	The University has the right to cancel incomplete application forms and also those that are received after due date. However, such forms may be accepted only after the approval of the competent authorities with late fee charges.
4.1.14 आवेदन पत्र भेजने हेतु निर्देश	**4.1.14 Instructions for sending application forms**
प्रवेश हेतु आवेदन पत्र प्रारूप एवं निर्देश विवरणिका के अन्त में संलग्न है। कृपया परिशिष्ट I एवं II का अवलोकन करें। विद्यार्थी दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रवेश फॉर्म भर कर अपने नजदीकी अध्ययन केंद्र में जमा कर सकता है।	The application form for admission and directions for filling it, are attached at the end of this Prospectus. Please refer to Annexure I & II for the same. Learner may fill application form as per the guidelines and submit the same to the nearest study centre.
4.1.15 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भेजने हेतु निर्देश	**4.1.15 Instructions for Sending Online Application Forms**
विद्यार्थी अपना आवेदन आनलाइन भी कर सकते हैं। ऐसे शिक्षार्थी, जो आनलाइन पद्धति से प्रवेश लेते हैं, को विवरणिका शुल्क देय नहीं होगा। आनलाइन आवेदन करने हेतु निर्देश विवरणिका के अन्त में दिए गए हैं। कृपया परिशिष्ट II का अवलोकन करें।	Learners may also fill application forms online. The students who opt for online admission, shall not have to pay Rs.100/- towards the prospectus. The directions for filling online application form are given at the end of this prospectus. See Annexure II.
4.1.16 विदेशी अभ्यर्थियों का प्रवेश	**4.1.16 Admission of foreign students**
विदेशी आवेदकों के आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों, प्रमाणकों तथा उनकी अर्हता की प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त जाँच की जाएगी।	All information provided by the foreign applicants, together with their certificates and qualifications, will be duly verified in the University.
2. अर्हता के सम्बन्ध में विदेशी छात्रों के द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों के परिसंघ के द्वारा जारी 'समानता प्रमाण पत्र' प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा (इस प्रमाण पत्र का वर्तमान में प्रचलित नमूना परिसंघ की वेबसाइट से लिया जा सकता है)।	With regard to the eligibility criteria, students from foreign countries will be required to procure an Equivalence Certificate, issued by the Association of Indian Universities. (AIU) (A sample of this certificate can be taken from the AIU website).

उक्त बिन्दु 1 तथा 2 में अर्हता सुनिश्चत हो जाने के पश्चात ऐसे आवेदकों को कुलसचिव के द्वारा आशय - पत्र जारी किया जाएगा।	Once the student fulfills the eligibility requirements, as mentioned in point's number 1 and 2, a Letter of Intent will be issued by the Registrar.
इस आशय- पत्र की सहायता से विदेशी अध्ययनार्थी अपने दूतावास से भारत सरकार के नियमों के अन्तर्गत 'विद्यार्थी वीजा' प्राप्त करेंगे।	With the help of the Letter of Intent, the students from foreign countries will be able to obtain 'student-visa' from the embassies of their respective countries.
वैद्य 'विद्यार्थी वीजा' प्रस्तुत करने पर ही विदेशी अध्ययनार्थियों को विश्वविद्यालय में नियमानुसार प्रवेश अनुमन्य किया जाएगा।	A foreign student will be granted admission in the University only when he/she produces a legal 'student-visa'.
नेपाली, भूटानी अथवा तिब्बती मूल के अध्ययनार्थियों को स्थानीय पुलिस के द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत ही प्रवेश दिया जा सकेगा तथा इन अध्ययनार्थियों को इस विश्वविद्यालय के अध्ययनार्थी रहते हुए सम्पूर्णअवधि में इस हेतु निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।	Students from Nepal, Bhutan and Tibet will be granted admission as per the rules of the local Police Department. Furthermore, these students will have to abide by the University rules as long as they remain the bona-fide students of the University.
भारत सरकार/राज्य सरकार/गृह विभाग तथा स्थानीय पुलिस के द्वारा समय- समय पर इस संबध में बनाए गए नियम नेपाली/भूटानी/तिब्बती/अन्य विदेशी अध्ययनार्थियों द्वारा स्वतः ही पालन किए जाने योग्य होंगे, और इन नियमों का उल्लघंन करने पर विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।	It is expected of the students from Nepal, Bhutan, Tibet and other foreign countries that they follow the rules framed by the Government of India, Ministry of Home Affairs, State Government and local Police Department. However, if these students are found flaunting the rules, the University will have the rights to cancel their admission.